न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 65 / 2018 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री प्रकाशचन्द्र पिता लक्ष्मीलाल व्यास निवासी देवरिया वाया कोशीथल त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	स्हायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायपुर
——अपीलार्थी		——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 28 / 08 / 2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 31.07.2018 को अपील जरिये डाक प्राप्त हुई। अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 35 एफ 762950 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 14.06.2018 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा को जरिये डाक प्रेषित किया निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 14.06.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 06.08.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचनापत्र जारी किया गया। अपीलार्थी का सूचनापत्र उनकी पत्नि को तामील कराया गया। अपीलार्थी बाहर गांव होने से उपस्थित नहीं हो सका। प्रथम सुनवाई दिनांक 21. 08.2018 को अपीलार्थी अनुपस्थित । प्रत्यर्थी द्वारा अपने पत्रांक / / विविध / सू0 का0अ0 / 2018 / 473 दिनांक 20.08.2018 के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 14.06.2018 से चाही गई सूचना तैयार की जाकर अपने पत्रांक 185 दिनांक 07.08.2018 एवं 195 दिनांक 16.08.2018 से अपीलार्थी को भिजवाई जो उसकी पत्नि के द्वारा प्राप्त की गई। प्राप्ति रसीद इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है जिससे अपील खारिज फरमाई जावे ।

अपीलार्थी के आवेदन एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 14.06.2018 में अंकित बिन्दु की सूचना तैयार कर दिए जाने हेतु अपीलार्थी को प्रेषित पत्रांक185 दिनांक 07.08.2018 एवं 195 दिनांक 16.08.2018 की प्रति प्रत्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत की है। उक्त पत्र से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सूचना तैयार होने एवं तैयार सूचना प्राप्त करने हेतु पत्रांक 185 दिनांक 07.08.2018 से सूचित किया जिसकी प्रति एवं इसके पश्चात वांछित सूचना तैयार कर प्रत्यर्थी के द्वारा अपने पत्रांक /सू0का0अ0/2018/195 दिनांक 16.08.2018 से अपीलार्थी को भिजवाई गई परन्तु अपीलार्थी के बाहर गांव होने से उसकी पत्नि के द्वारा सूचना दिनांक 17.08.2018 को प्राप्त की गई जिसकी प्राप्ति रसीद की फोटो प्रति पत्रावली में प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी को सूचना 15.07.2018 तक उपलब्ध कराई जानी थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा विलम्ब से एक महीने पश्चात सूचना उपलब्ध कराई जो अधिनियम के प्रावधानों में दी गई व्यवस्था अनुसार नहीं है। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा सूचना अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है जिससे इस अपील को कोई बल नहीं मिलता है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायपुर को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 28/08/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा